संख्या-97/2023/1732/2023/12-2099/131/2023

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनॉक: 05 दिसम्बर, 2023

विषयः-भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार Weather Information Network Data System (WINDS) के अन्तर्गत प्रदेश के विकासखण्डों एवं ग्रामपंचायतों में Automatic Weather Station (AWS) & Automatic Rain Gauge (ARG) स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार शासनादेश संख्या-52/2023/898/476477/12-2-2023/60(3)/2016 दिनांक 07.06.2023 के क्रम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 के खरीफ तथा रबी मौसम में संचालित किया जा रहा है।

2. पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का निर्धारण मौसम के आँकड़ों यथा तापमान, वर्षा, हवा की गति, आर्द्रता आदि पैरामीटर के आधार पर किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल की मध्यावस्था में होने वाले नुकसान की स्थिति में क्षतिपूर्ति के निर्धारण में भी मौसम सम्बन्धी आँकड़ों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में मौसम के आँकड़े बीमा कम्पनियाँ प्राइवेट एजेन्सियों द्वारा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित आटोमेटिक वेदर स्टेशन (AWS) से क्रय करके क्षतिपूर्ति के आंकलन में उपयोग करती हैं।

3. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा की इकाई ग्राम पंचायत स्तर है। ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम सम्बन्धी डाटा की उपलब्धता होने से क्षतिपूर्ति का निर्धारण और अधिक पारदर्शिता से सम्भव हो सकेगा तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को अधिक जनपदों एवं औद्यानिक फसलों पर संचालित करने में सुगमता होगी। मौसम सम्बन्धी आँकड़ों का उपयोग फसल बीमा योजना के अतिरिक्त कृषि के अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्षेत्रों यथा किसानों को बुवाई से लेकर फसल की कटाई तक एडवाइजरी जारी करने, कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित करने आदि में किया जायेगा।

4. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मौसम के आँकड़ों का कृषि क्षेत्र में बढ़ते महत्व को देखते हुए मौसम सम्बन्धी इन्फ्रास्ट्रक्चर में एकरूपता लाने तथा आँकड़ों की निर्धारित मानक के अनुरूप प्राप्त करने हेतु AWS एवं ARG की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में उपयोग हेतु वेदर इन्फार्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम (WINDS) को बनाये जाने का निम्नानुसार कार्यवाही कराये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(i) प्रारम्भ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को विन्ड्स के दायरे में रखा गया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की आवश्यकता के अनुरूप प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर AWS एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में ARG स्थापित किया जाना है। तद्नुसार विन्ड्स मैनुअल में भी प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर एक AWS एवं ग्राम पंचायत स्तर पर एक ARG स्थापित करने का प्राविधान किया गया है। भविष्य में भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं यथा आपदा प्रबन्धन, मौसम एवं पर्यावरण के क्षेत्र में अध्ययन, परिवहन, टूरिज्म, ऊर्जा आदि जिसमें मौसम के आंकड़ों का महत्व है, उसे विन्ड्स के दायरे में लाया जायेगा।

(ii) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या-11019/04/2019-क्रेडिट-II (पार्ट-II) दिनांक 01.09.2023 द्वारा विन्ड्स मैनुअल 2023 जारी किया गया है। विन्ड्स मैनुअल सभी हितधारक यथा केन्द्र, राज्य, भारतीय मौसम विभाग (IMD), विन्ड्स इम्पलीमेन्टेशन पार्टनर (WIP) तथा अन्य सम्बन्धित के लिए एक दिशा-निर्देशक की तरह प्रभावी होगा। विन्ड्स मैनुअल में समय-समय पर यथा आवश्यक संशोधन करने, AWS एवं ARG के लिए स्टैण्डर्ड मानक, विशिष्टियों को निर्धारित करने, विन्ड्स इम्पलीमेन्टेशन पार्टनर (WIP) को पैनलबद्ध करने, डाटा को संग्रहीत करने एवं विश्लेषित करने के लिए विन्ड्स पोर्टल आदि के लिए भारत सरकार द्वारा विन्ड्स कमेटी का गठन किया गया है। महालोनोबिस नेशनल क्राप फोरकास्ट सेन्टर (MNCFC) विन्ड्स कमेटी के लिए एक सचिवालय की तरह कार्य करेगा, जो विन्ड्स कार्यक्रम में दिन प्रतिदिन के कार्यों की निगरानी करेगा।

(iii) **विन्ड्स के अन्तर्गत विभिन्न हितधारकों (Stake Holders) की भूमिका निम्नवत निर्धारित है:-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भारत सरकार	1. विन्ड्स मैनुअल में संशोधन 2. Quality Assurance Partner (QAP) को नामित/चयनित करना। 3. वित्तीय सहयोग प्रदान करना। 4. विन्ड्स कमेटी का गठन।
विन्ड्स कमेटी	1. विन्ड्स मैनुअल बनाना। 2. WINDS Implementation Partner (WIP) को पैनलबद्ध करना। 3. माडल टेण्डर डाक्यूमेन्ट बनाना। 4. विन्ड्स कार्यक्रम के लिए SOP तैयार करना।
राज्य	1. WIP का ई-निविदा के माध्यम से चयन। 2. AWS/ARG स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध कराना। 3. AWS/ARG की सुरक्षा। 4. AWS/ARG की स्थापना में WIP को सहयोग देना।
विन्ड्स इम्पलीमेन्टेशन पार्टनर (WIP)	1. AWS/ARG उपकरण की व्यवस्था एवं स्थापित कराना। 2. डाटा का संग्रह एवं उपकरणों का अनुरक्षण। 3. केन्द्रीय सर्वर पर डाटा ट्रान्समिशन।
क्वालिटी एश्योरेन्स पार्टनर (QAP)	1. उपकरणों, सेन्सर का सत्यापन। 2. मानक निर्धारित करना। 3. आँकड़ों की गुणवत्ता।

(iv) वेदर इन्फार्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम (WINDS) को प्राइवेट सेक्टर के पार्टीसिपेशन से स्थापित कराया जायेगा। अर्थात इक्यूपमेन्ट्स आदि की स्थापना, अनुरक्षण पर होने वाला व्यय प्राइवेट कम्पनियों द्वारा किया जायेगा तथा मेन्टीनेन्स सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी प्राइवेट कम्पनियों की होगी और एक सर्विस लेवल एग्रीमेन्ट के तहत उनसे डाटा क्रय कर उसके बदले रेन्ट दिया जायेगा।

(v) विन्ड्स कार्यक्रम के माध्यम से देश में एकल डिजिटल प्लेटफार्म पर मौसम डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया जायेगा। इस प्लेटफार्म पर पूर्व में भारतीय मौसम विभाग (IMD) तथा प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित कराये गये आटोमैटिक वेदर स्टेशन/आटोमैटिक रेनगेज को लाया जायेगा।

(vi) राजस्व विभाग द्वारा वर्तमान में 450 आटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS) तथा 2000 आटोमैटिक रेनगेज स्थापित कराये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय मौसम विभाग (IMD)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वारा 68 आटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS) तथा 132 आटोमैटिक रेन गेज स्थापित कराये गये हैं।

(vii) प्रदेश में 826 विकासखण्ड एवं 57702 ग्राम पंचायतें हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) एवं राजस्व विभाग के आटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS) एवं आटोमैटिक रेनगेज (ARG) को घटाते हुए निम्न विवरण के अनुसार आटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS) तथा आटोमैटिक रेनगेज (ARG) विन्ड्स कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित कराने का प्रस्ताव है, जिससे प्रदेश के सभी विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायतें आच्छादित हो जायेंगी, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

स्तर	राजस्व विभाग	भारतीय मौसम विभाग (IMD)	WINDS के अन्तर्गत प्रस्तावित	योग
ब्लाक स्तर पर AWS	450	68	308	826
ग्राम पंचायत स्तर पर ARG	2000	132	55570	57702

राजस्व विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राजस्व विभाग द्वारा स्थापित कराये गये आटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS) तथा आटोमैटिक रेनगेज (ARG) के आंकड़े भारत सरकार को केन्द्रीय विन्ड्स पोर्टल पर उपलब्ध हो।

(viii) वेदर इनफार्मेशन नेटवर्क तथा डाटा सिस्टम को प्राइवेट सेक्टर के पार्टीसिपेसन से स्थापित कराया जायेगा, जिसे विन्ड्स इम्प्लीमेन्टेशन पार्टनर (WIP) कहा गया है। WIP का चयन ई-निविदा के माध्यम से भारत सरकार द्वारा पैनलबद्ध एजेन्सियों में से किया जायेगा।

(ix) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनी का चयन ई-निविदा के माध्यम से किया गया है। योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदित निविदा की शर्तों के अनुसार ई-निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर बीमा कम्पनी के चयन की संस्तुति शासन को भेजने हेतु कृषि निदेशक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में निविदा समिति का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा विन्ड्स इम्प्लीमेन्टेशन पार्टनर (WIP) के चयन हेतु मॉडल टेण्डर डाक्यूमेन्ट उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत गठित निविदा ड्राफ्ट समिति द्वारा ही WIP के चयन हेतु निविदा की शर्तों को तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु कृषि निदेशक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति द्वारा ही शासन द्वारा अनुमोदित निविदा शर्तों के अनुरूप ई-निविदा की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। ई-निविदा में पाई गयी L1 एजेन्सी के चयन हेतु शासन से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य का आवंटन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(x) आटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS) तथा आटोमैटिक रेनगेज (ARG) स्थापित कराने हेतु राज्य सरकार को स्थान उपलब्ध कराने के लिए सामान्यतया 5x7 वर्गमीटर तथा आटोमैटिक रेनगेज (ARG) स्थापित करने के लिए 4x3 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होती है। आटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS) की स्थापना विकास खण्ड के कार्यालय में किया जायेगा जहाँ पर न तो राजस्व विभाग और न ही भारतीय मौसम विभाग के आटोमैटिक वेदर स्टेशन लगे हों, का चिन्हीकरण किया जायेगा। आटोमैटिक रेन गेज (ARG) को पंचायत विभाग के ग्राम पंचायतों में स्थापित पंचायत भवनों की छत पर स्थापित कराया जायेगा।

(xi) आटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS) एवं आटोमैटिक रेनगेज (ARG) की सुरक्षा एवं देखभाल का दायित्व राज्य सरकार का है। सुरक्षा एवं देखभाल के लिए सभी ग्राम पंचायतों में एक विन्ड्स लोकल गार्जियन (WLG) के रूप में एक कार्मिक नामित किया जायेगा, इसके लिए पंचायत विभाग के ग्राम पंचायतों में नियुक्त पंचायत सेवक अथवा पंचायत मित्र को नामित किया जायेगा। विण्ड्स लोकल गार्जियन (WLG) का मुख्य कार्य AWS/ARG की सुरक्षा करना है। विण्ड्स लोकल गार्जियन AWS/ARG की स्थापना एवं मरम्मत आदि के समय उपस्थित रहेगा। अनुश्रवण स्थापित एजेन्सी के अधिकृत तथा सम्बन्धित एजेन्सी कार्यालय के पंचायत भवन परिसर में उक्त कार्य हेतु आने पर उन्हें स्थापित संयत्र स्थान की Access उपलब्ध करायेगा। सम्बन्धित एजेन्सी जो AWS/ARG स्थापित करेगी उसके द्वारा WLG को सामान्य प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(xii) WINDS के अन्तर्गत AWS/ARG से डाटा प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय विन्ड्स पर बने पोर्टल को भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल से भी इन्टीग्रेट किया जायेगा, ताकि मौसम सम्बन्धी आँकड़े सीधे फसल बीमा पोर्टल पर प्राप्त करते हुए त्वरित गति से क्षतिपूर्ति का निर्धारण हो सके। पोर्टल पर प्राप्त डाटा के आधार पर भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा WIP को भुगतान किया जायेगा। विन्ड्स के अन्तर्गत टेण्डर 5 वर्ष के लिए किया जायेगा, जिसे परफार्मेन्स के आधार पर 2 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकेगा। भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा विन्ड्स के अन्तर्गत संकलित डाटा का निःशुल्क उपयोग किया जायेगा, जिसका उपयोग सरकार कल्याणकारी योजनाओं, आपदा प्रबन्धन, एडवाइजरी एवं अन्य पब्लिक के हित में करेंगी। Renting of Data के भुगतान हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा निम्नवत वित्तीय बटवारे का निर्धारण किया गया है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वर्ष	भारत सरकार	प्रदेश सरकार
2023-24 (प्रथम वर्ष)	90%	10%
2024-25 (द्वितीय वर्ष)	80%	20%
2025-26 (तृतीय वर्ष)	60%	40%
चतुर्थ वर्ष एवं आगे	50%	50%

प्रदेश में विन्ड्स के अन्तर्गत मौसम डाटा के Rental Cost का आंकलन एवं भुगतान WIP को वित्तीय निविदा से प्राप्त दर के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित SOP के अनुसार किया जायेगा। वित्तीय निविदा से प्राप्त दर के आधार पर ही वित्तीय देयता का निर्धारण हो सकेगा।

(xiii) विन्ड्स पोर्टल पर राजस्व विभाग और भारतीय मौसम विभाग के डेटा भी शेयर किये जायेंगे और विन्ड्स व्यवस्था द्वारा स्थापित डेटा भी पोर्टल पर प्राप्त होगा। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों यथा-पंचायत, राजस्व ग्राम्य विकास, कृषि आदि के राज्य मुख्यालय में कन्ट्रोल रूम की भी स्थापना की जायेगी ताकि विन्ड्स पोर्टल से प्राप्त एलर्ट का राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा सार्थक उपयोग किए जाने की रणनीति बनायी जा सके।

(xiv) मौसम सम्बन्धी आँकड़ों के एकत्रीकरण, नेटवर्क की स्थापना, आंकड़ों की गुणवत्ता भारत सरकार स्तर पर गठित विन्ड्स कमेटी द्वारा सुनिश्चित कराई जायेगी। इसके लिए भारत सरकार द्वारा **क्वालिटी एश्योरेंश पार्टनर** (QAP) को चिन्हित किया जायेगा।

(xv) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। इसी राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा ही विन्ड्स कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

(xvi) AWS तथा ARG नेटवर्क से प्राप्त डेटा विन्ड्स पोर्टल पर संरक्षित रहेगा। रेगुलर डेटा के साथ हिस्टोरिकल डेटा ओपेन एक्सेस के माध्यम से सभी हितधारकों को (अर्थात योजना बनाने, अध्ययन, शोध, कृषकों को सेवायें) नि:शुल्क उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा गठित विण्ड्स कमेटी के माध्यम से यथोचित डेटा शेयरिंग पालिसी बनायी जायेगी। विन्ड्स पोर्टल से डाटा प्राप्त होने पर जनपद के जिलाधिकारी को AWS/ARG के डाटा को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xvii) मौसम डाटा समय से प्राप्त न होने अथवा AWS/ARG के खराब होने के कारण डाटा प्राप्त न होने की स्थिति में WIP के ऊपर दण्ड का प्राविधान विन्ड्स मैनुवल के अनुसार किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगा। दण्ड का निर्धारण AWS एवं ARG स्टेशन डाटा के वार्षिक रेन्टल कास्ट के आधार पर किया जायेगा। दण्ड का प्राविधान निम्नवत् किया गया हैः-

Penalty Clause		
S. No	**No. of Days or part thereof beyond Timeline**	**Penalty (Percentage of Yearly rental cost of the AWS and ARG station data**
1	Up to 3 Days	0.00%
2	4	0.50%
3	5	0.50%
4	6	0.50%
5	7	1.00%
6	8	1.50%
7	9 and more	2.00%

(xviii) विन्ड्स कार्यक्रम एक नई योजना के रूप में प्रदेश में संचालित किया जायेगा। जिसकी वित्तीय व्यवस्था नई मॉग के माध्यम से की जायेगी।

(xix) विन्ड्स मैनुअल 2023 एवं विन्ड्स कमेटी द्वारा समय-समय पर किए गये संशोधन के अनुसार विन्ड्स कार्यक्रम को प्रदेश में संचालित करने हेतु संशोधनों के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

(xx) इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि Weather Information Network Data System (WINDS) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों में स्थापित किये जा रहे Automatic Weather Station (AWS) & Automatic Rain Gauge (ARG) के डाटा को राजस्व विभाग से शेयर किया जायेगा।

योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि के सापेक्ष बजटीय प्रावधान कराने का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा। प्रश्नगत योजनान्तर्गत होने वाला व्यय प्राविधानित बजट सीमा में रहेगा। प्रश्नगत योजना का संचालन भारत सरकार द्वारा निर्गत विण्ड्स मैनुअल 2023 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का तत्काल कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-97/2023/1732(1)/2023/12-2099/131/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार एवं सी.ई.ओ. (PMFBY), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. निदेशक, एम0एन0सी0एफ0सी0, भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, भारतीय मौसम विभाग (IMD), अमौसी एयरपोर्ट, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अजय कुमार द्विवेदी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।